समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
15.01.2021	**उत्पाद वाद संख्या-68/2017** **(बायसी थाना काण्ड सं0-117/2016 से उत्पन्न)** **राज्य** ..... आवेदक **बनाम** **1. अशोक कुमार सिंह, पिता-जितेन्द्र नारायण सिंह, सा0-सुखनगर, थाना-के0 हाट, जिला-पूर्णिया। (जप्त MARUTI CAR NO.-BR11Z-1708 के निबंधित स्वामी)** ..... *विपक्षी* **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के **CWJC N0.-3554/2017** में पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 के आलोक में मो0 5,32,000.00 (पांच लाख बत्तीस हजार) रूपये के बन्धपत्र पर उक्त वाहन को अस्थाई रूप से मुक्त करने का आदेश दिनांक 30.03.2017 को पारित किया गया। पुनः **CWJC N0.-3554/2017** में पारित आदेश दिनांक 18.01.2020 के आलोक में जप्त वाहन के राजसात की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दिनांक 09.03.2020 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस संबंध में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु निबंधित डाक द्वारा दिनांक 18.03.2020 को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 4830/हि0शा0 दिनांक-10.12.2016** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 31.07.2016 को बायसी थाना अंतर्गत डंगराहा यादवटोला के पास की गई।** जांच के क्रम में विपक्षी के **जप्त वाहन से**	

मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

चूँकि विपक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में जप्त वाहन को वापस प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विपक्षी द्वारा बन्धपत्र में उल्लेख किया गया है कि बन्धपत्र की राशि देने के लिए वे सक्षम है। ऐसी स्थिति में बन्धपत्र के रूप में प्रस्तुत जमीन संबंधी कागजात् जिसमें जमीन का विवरण **मौजा-मोहनपुर (अंचल-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा), खाता सं0-33(पुराना) खाता सं0-531(नया), खेसरा सं0-151(पुराना), खेसरा सं0-992, 993, 1004, 1006(नया), कुल रकवा-01.43.5 एकड़** की **खरीब-बिक्री एवं जमाबन्दी** पर रोक लगाने हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश की प्रति भेजें। यदि विपक्षी द्वारा इस वाद से संबंधित वाहन जो अस्थाई रूप से मुक्त किया गया है, को वापस कर दिया जाता है, तो उक्त आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।